

नगा वदिरोह

प्रलिमिन्स के लिये:

[राष्ट्रीय जाँच एजेंसी \(NIA\)](#), [नगा शांतिप्रक्रिया](#), [नगा हलिस](#), [सशस्त्र बल \(वशिष शक्तियाँ\) अधिनियम \(AFSPA\)](#), 1975 का शलांग समझौता, ब्रू समझौता 2020, बोडो शांति समझौता 2020, कार्बी आंगलोंग समझौता 2021, मज़िो शांति समझौता 1986, [नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम 2019](#), [राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर \(NRC\)](#)

मेन्स के लिये:

[नगा शांतिप्रक्रिया](#), [मुक्त आवाजाही व्यवस्था \(FMR\)](#)

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय जाँच एजेंसी \(National Investigation Agency- NIA\)](#) ने गुवाहाटी न्यायालय में एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें [नेशनल सोशलसिट काउंसिल ऑफ नगालैंड-इसाक मुइवा \(NSCN-IM\)](#) के "चीन-म्यांमार मॉड्यूल" पर, भारत में घुसपैठ के लिये दो प्रतर्बिधति मैतेई संगठनों के कैडरों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया।

- NIA का आरोप है कि NSCN-IM की कार्यवाहियों का उद्देश्य मणिपुर में [जातीय अशांति का लाभ उठाना](#), राज्य को अस्थिर करना और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करना था।

नगा वदिरोह और संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- **नगा:**
 - नगा भारत के उत्तरपूर्वी भाग और म्यांमार के पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाला एक [स्वदेशी समुदाय](#) है।
 - ऐसा व्यापक रूप से माना जाता है कि वे [इंडो-मंगोलॉयड](#) हैं जो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में चले आए थे।
- **नगाओं का इतिहास:**
 - **ब्रिटिश शासन के अधीन नगा:** नगा पहली बार ब्रिटिश शासन के अधीन आए जब **19वीं शताब्दी** में अंग्रेजों ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया।
 - **द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नगा:** द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, नगाओं ने ब्रिटिश सेना की सहायता की।
 - **नगा नेशनल काउंसिल (Naga National Council- NNC)** की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी और उसने असम के [राज्यपाल](#) के साथ **9-सूत्री समझौते (Nine-Point Agreement)** पर हस्ताक्षर किये जिससे नगाओं को उनके क्षेत्र पर नियंत्रण मिला गया।
 - 14 अगस्त, 1947 को **नगा स्वतंत्रता** की घोषणा की गई।
 - 1950 के दशक में NNC ने नगा की संप्रभुता पर हथियार उठाए और हिसा का सहारा लिया।
 - NNC ने वर्ष 1952 में भूमिगत नगा संघीय सरकार (Naga Federal Government- NFG) और इसकी सैन्य शाखा, **नगा संघीय सेना (Naga Federal Army- NFA)** का गठन किया।
 - शलांग समझौते (1975) के बाद NNC, NSCN में **वर्धित हो गया**, जो वर्ष 1988 में पुनः **NSCN (IM)** और **NSCN (खापलांग)** में वर्धित हो गया।
- **नगा का मुद्दा:**
 - नगा समूह मुख्य रूप से [ग्रेटर नगालिम](#) की मांग कर रहे हैं, जिसमें पूर्वोत्तर के सभी नगा-बसे हुए क्षेत्रों को **एकप्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत एकजुट करने के लिये सीमाओं** को फिर से तैयार करना शामिल है, जिसका लक्ष्य अंततः संप्रभु राज्य का दर्जा प्राप्त करना है।
 - इसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्यांमार के वर्धित क्षेत्र भी शामिल हैं।
 - इस मांग में **पृथक नगा येज़ाबो (नगाओं का संवर्धन)** और **नगा राष्ट्रीय ध्वज** भी शामिल है।
- **शांति की पहल:**

- **शिलांग समझौता (1975):** शिलांग में हस्ताक्षरित एक शांति समझौते में NNC नेतृत्व नरिसूत्रीकरण के लिये सहमत हुआ, लेकिन नेताओं के बीच असहमति के कारण संगठन में आंतरिक विभाजन हो गया।
- **युद्धविराम समझौता (1997):** NSCN-IM ने भारतीय सशस्त्र बलों पर हमलों को रोकने के लिये सरकार के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किये। बदले में सरकार द्वारा सभी उग्रवाद वरिधी आक्रामक अभियानों को नयित्त्रि कथिा गया था।
- **NSCN-IM के साथ फरेमवरक समझौता (2015):** इस समझौते में भारत सरकार ने नगाओं के अद्वितीय इतहास, संस्कृति और स्थिति तथा उनकी भावनाओं व आकांक्षाओं को मान्यता दी।

नगालैंड और मणपुर में संघर्ष की स्थिति क्या है?

■ मणपुर में संघर्ष का इतहास:

- मणपुर में 16 ज़िले हैं, लेकिन इस राज्य को आमतौर पर 'घाटी' और 'पहाड़ी' ज़िलों में विभाजित माना जाता है।
 - **राज्य के घाटी क्षेत्र में अधिकतर मैतेई समुदाय का वरचस्व है।**
- मणपुर घाटी नचिली पहाड़ियों से घरी हुई है और 15 नगा जनजातियों तथा चनि-कुकी-मज़ो-ज़ोमी समूह (Chin-Kuki-Mizo-Zomi group) का निवास है, जसिमें कुकी (Kuki), थाडौ (Thadou), हमार (Hmar), पाइट (Paite), वैफेई (Vaiphei) और ज़ाउ (Zou) समुदाय के लोग शामिल हैं।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षित मणपुर के कांगलेइपक साम्राज्य (Kangleipak kingdom) पर उत्तरी पहाड़ियों से आए नगा जनजातियों ने हमला कर दिया था। ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट मैतेई और नगाओं के बीच एक बफर के रूप में कार्य करके घाटी को लूट से बचाने के लिये बर्मा की कुकी-चनि पहाड़ियों से कुकी-ज़ोमी लोगों को लाए थे।
- कुकी, नगाओं जैसे खतरनाक शीर्ष-शिकारी योद्धा को नीचे इफाल घाटी के लिये ढाल के रूप में कार्य करने के लिये चोटियों के किनारे ज़मीन दी गई थी।

■ कुकी-मैतेई विभाजन: पहाड़ी समुदायों (नगा और कुकी) और मैतेई (घाटी) में साम्राज्य काल से ही जातीय तनाव रहा है। 1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिये नगा आंदोलन ने मैतेई और कुकी-ज़ोमी के बीच विद्रोह को जन्म दिया।

- कुकी-ज़ोमी समूहों ने 1990 के दशक में भारत के भीतर 'कुकीलैंड' (भारत के भीतर एक राज्य) नामक एक राज्य की मांग के लिये सैन्यीकरण किया। इसने उन्हें मैतेई लोगों से अलग कर दिया, जिनका उन्होंने पहले बचाव किया था।
 - जबकि मैतेई लोग अपनी जनजातीय स्थिति को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जैसा कि मणपुर के वर्ष 1949 में भारत में वलिय से पहले मान्यता प्राप्त थी।

■ हालिया संघर्ष का कारण:

- **परसीमन प्रकरिया में मुद्दे:** वर्ष 2020 में, वर्ष 1973 के बाद से राज्य में पहली परसीमन प्रकरिया के दौरान, मैतेई समुदाय ने दावा किया कि उपयोग किया गए जनगणना के आँकड़े गलत थे, जबकि आदिवासी समूहों (कुकी और नगा) ने तर्क दिया कि 40% जनसंख्या होने के बावजूद विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम है।
- **पडोसी क्षेत्र से प्रवासियों की घुसपैठ:** फरवरी 2021 में म्यांमार के तखतापलट ने भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट उत्पन्न कर दिया है, मैतेई नेताओं ने चुराचांदपुर ज़िले के गाँवों में प्रवासियों की अचानक वृद्धि का दावा किया है।
- **हसिा को बढ़ावा देना:** प्रारंभिक हसिक वरिध एक कुकी गाँव को बेदखल करने से उत्पन्न हुआ, जसिमें चूडाचंदपुर-खोपुम संरक्षित वन क्षेत्र के 38 गाँवों को कथित रूप से अनुच्छेद 371 C का उल्लंघन करते हुए "अवैध बस्तियाँ" करार दिया गया।

■ उग्रवादियों के हितों का अभिसरण (Convergence of Interest of Militants): हाल ही में दाखल किया गया आरोप पत्र (Charge Sheet) मौजूदा जातीय संकट के दौरान नगालैंड स्थिति NSCN-IM और इफाल घाटी स्थिति विद्रोही समूहों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है।

- गरिफतार किया गए व्यक्तियों में से एक पीपुल्स लबरेशन आरमी (PLA) का प्रशिक्षित कैडर है, जो उन आठ मैतेई विद्रोही समूहों में से एक है, जिन्हें "सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत से मणपुर को अलग करने की वकालत करने" के लिये गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs- MHA) द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
- PLA का गठन वर्ष 1978 में हुआ था और यह पूर्वोत्तर में सबसे हसिक आतंकवादी संगठनों में से एक बना हुआ है तथ्यप्रमाण में इसका नेतृत्व एम.एम. नगौबा कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में संघर्ष की स्थिति:

- **मज़ोरम:** वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पूर्व मज़ोरम असम का हसिा था और "मौतम अकाल (Mautam famine)" के दौरान सहायता के अनुरोध पर केंद्र सरकार की अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण उग्रवाद का सामना करना पड़ा था, वर्ष 1966 में लालडेंगा के नेतृत्व में मज़ो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्रता की मांग की थी।
- **त्रिपुरा:** ब्रिटिश शासित पूर्वी बंगाल से हडिओं की बहुतायत जनसंख्या के कारण स्वदेशी आदिवासी लोगों की संख्या घटकर अल्पसंख्यक हो गई, जसिसे हसिक प्रतिक्रिया हुई और आदिवासी अधिकारों की बहाली की मांग करने वाले उग्रवादी समूहों का उदय हुआ।
- **असम:** अवैध प्रवासियों को निवासित करने के आह्वान के कारण वर्ष 1979 में यूनाइटेड लबरेशन फ्रंट ऑफ असम (United Liberation Front of Assam- ULFA) जैसे उग्रवादी समूहों के साथ-साथ बोडो लबरेशन टाइगरस और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (National Democratic Front of Bodoland- NDFB) जैसे अन्य उग्रवादी समूहों का उदय हुआ।
- **मेघालय:** असम से मेघालय के निर्माण का उद्देश्य गारो, जैतिया और खासी सहित प्रमुख जनजातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना

- था, लेकिन आदिवासी स्वायत्तता की आकांक्षाओं के कारण **GNLA और HNLC जैसे वदिरोही आंदोलनों** को भी बढ़ावा मिला।
- **अरुणाचल प्रदेश:** अरुणाचल प्रदेश ऐतिहासिक रूप से एक शांतपूर्ण राज्य रहा है, लेकिन म्यांमार और नगालैंड से नक़्क़ीतता के कारण, हाल ही में उग्रवाद में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में एकमात्र स्वदेशी वदिरोह आंदोलन अरुणाचल ड्रैगन फ़ोर्स (**Arunachal Dragon Force- ADF**) है, जिसने 2001 में इसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया लिबरेशन फ़्रंट (East India Liberation Front- EALF) कर दिया।

आगे की राह

- **लोकसमिति (1965)** और **भुरिया आयोग (2002-2004)** जैसी विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार **अनुसूचित जनजाति (ST) स्थिति** (मैतेई के लिये) के मानदंडों का आकलन करने की आवश्यकता है।
- म्यांमार से **प्रवासियों की घुसपैठ को रोकने** के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में **नगरानी को बढ़ाया जाना** चाहिये।
- पड़ोसी देशों के साथ **आर्थिक और राजनयिक संबंधों** में सुधार क्षेत्रीय स्थिरता एवं सुरक्षा को मज़बूत करने में योगदान दे सकता है।
- **सीमावर्ती क्षेत्र के समुदायों की पहचान** को सुरक्षित रखने तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये वदिरोही समूहों के साथ शांति समझौतों पर बातचीत करनी चाहिये।
- विश्वास-निर्माण उपायों को लागू करने के साथ-साथ **AFSPA की नियमिति समीक्षा** करना आवश्यक है।
 - सरकार को स्वामित्व और जुड़ाव की भावना उत्पन्न करने के लिये नरिणय लेने में **स्थानीय जनसंख्या की भागीदारी** को प्रोत्साहित करना चाहिये।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने में सरकारी उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[[[[[[:

प्रश्न. दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्यांमार से लगी विशेषकर लंबी छदिरलि सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी हैं? (2013)

प्रश्न. भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन कसि प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिये। (2014)